क्रमांक 16/19-3 जी0 एस0-II-79

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ 12 सितम्बर, 1979।

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुदान व सुविधायें देना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 8453-जी0एस0-11-7237/452, दिनांक 22-12-72 तथा क्रमांक 769-3 जी0 एस0-76/5165 दिनांक 15-3-78 की ओर दिलाते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन हिदायतों के अनुसार मृत कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को डिग्री स्तर तक (Including professional courses) निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। परन्तु वर्तमान हिदायतों में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह सुविधा फेल होने पर भी जारी रहेगी या नहीं। अतः इस प्रश्न पर अब सरकार द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारी के मरणोपरान्त पांच वर्ष तक उसके आश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जाती रहे, परन्तु उसके पश्चात किसी भी कक्षा में पहली बार फेल होने पर निःशुल्क शिक्षा की सुविधा समाप्त कर दी जाये।

2. कृपया वर्तमान हिदायतों में इस हद तक संशोधन समझा जाये और तदनुसार इनकी भविष्य में दृढ़ता से पालन किया जाये।

भवदीय,
हस्ता/-
उप सचिव, न्यायाचार,
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक-एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।